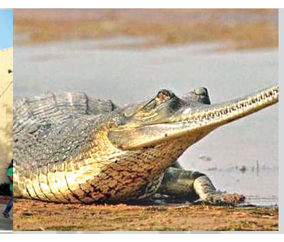

बिना अनुमति बन रहा अवैध बेसमेंट !

नगर पालिका परिषद सीधी अंतर्गत वार्ड क्रमांक- 13 में नपा की अनुमति के बिना बनाया जा रहा विशाल बेसमेंट

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जुलाई। बिना अनुमति अवैध बेसमेंट का निर्माण शुरू करने का मामला प्रकाश में आया है। नगर पालिका परिषद सीधी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में नपा की अनुमति के बिना यह विशाल बेसमेंट बनाया जा रहा है।

शहर के वार्ड क्रमांक 13 में सूखा नाला के किनारे विशाल बेसमेंट का निर्माण कार्य बिना नगर पालिका परिषद सीधी की अनुमति के ही मनमानी तौर पर

कराया जा रहा है। दरअसल बिना अनुमति बेसमेंट का निर्माण एक गंभीर और बड़ी समस्या है। यह न केवल संरचनात्मक सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे जमीन धसने का बड़ा खतरा रहता है।

ऐसे निर्माण कार्य को तुरंत रोकना आवश्यक है। बिना अनुमति के जेसीबी से गहरी खुदाई करने से गंभीर समस्या सामने आ सकती है। नगर पालिका या टाउन एंड कंट्री प्लालिंग से बिना नक्शा पास कराये बिना बेसमेंट बनाना अवैध है। भूकंप और जल भराव का खतरा भी ऐसे बेसमेंट का खतरा भी गंभीर रूप से बना रहता है।

अवैध बेसमेंट को ध्वस्त करने का है प्रावधान

अवैध बेसमेंट को ध्वस्त करने का प्रावधान है। संबंधित विभाग द्वारा निर्माण को सील या ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बेसमेंट से भूकंप और जलभराव का बड़ा खतरा रहता है। शहर के वार्ड क्रमांक 13 में जिस बड़े बेसमेंट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह सूखा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे में यहां बेसमेंट का निर्माण होने से और भी बड़ा खतरा निर्मित होगा।

इनका कहना है

निर्माण स्थल में टीम भेजकर जांच करायी जायेगी। बिना अनुमति के यदि निर्माण कार्य किया जा रहा है तो जांच प्रतिवेदन आने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।

महमूद हसन, सीएमओ नगर पालिका परिषद सीधी

मयापुर में लगा क्रेशर, कुनझुन की मांगी है लीज

ग्राम पंचायत में लटका लीज का प्रस्ताव, फिर भी किया जा रहा है अवैध उत्खनन

फाओअप

सीधी 13 जुलाई। मयापुर में क्रेशर लगाकर कुनझुन में उत्खनन के लिये लीज मांगी जा रही है। ग्राम पंचायत लीज का प्रस्ताव लटकने के बाद भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार एम.बी. माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मयापुर में क्रेशर लगाकर वहां से काफी दूर ग्राम पंचायत कुनझुन कला में स्थित शासकीय भूमि रकवा 8.6516 हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर उत्खनन एवं भण्डारण के लिये लीज प्राप्त करने के लिये खनिज विभाग सीधी में आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन पर खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कुनझुन कला से

कुनझुन में संचालित है अवैध स्टोन क्रेशर !

ग्राम पंचायत कुनझुन के प्रस्ताव के बिना एम.बी. माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये जा रहे अवैध उत्खनन की विधायक से हुई शिकायत

नवभारत न्यूज

सीधी 12 जुलाई। कुनझुन में अवैध स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कुनझुन के प्रस्ताव के बिना एम.बी. माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये जा रहे अवैध उत्खनन की शिकायत विधायक से हुई है।

गौरतलब है कि सीधी जिले के तहसील बहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुनझुन कला में रकवा 8.6516 हेक्टेयर क्षेत्र पर भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिये एम.बी. माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खनिज विभाग सीधी में आवेदन किया गया था। उक्त रकवा शासकीय भूमि में थी। उक्त भूमि में खनिज एम-सैंड, स्टोन डस्ट, खंडा/डोका, फ्लेग स्टोन, पत्थर, गिट्टी, बोल्डर हेतु व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कार्यालय कलेक्टर खनि शाखा द्वारा पत्र क्रमांक/1340, दिनांक 11 दिसम्बर 2025 को भेजकर ग्राम पंचायत कुनझुन कला से आवश्यक जानकारी 15 दिवस में मांगी गई थी। ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं स्पष्ट अभिमत इसमें मांगा गया था जिससे आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

ग्राम पंचायत की ओर से तत्संबंध में आवश्यक जानकारी तो बनाई गई लेकिन खनिज विभाग सीधी को नहीं भेजा गया। फिर भी कुनझुन कला में ग्राम पंचायत के बिना प्रस्ताव के अवैध रूप से स्टोन क्रेशर का संचालन शुरू कर दिया गया, साथ ही संबंधित भूमि में पत्थर का अवैध उत्खनन भी शुरू कर दिया गया। सभी नियमों को ताक पर क्रेशर संचालक द्वारा यहां कार्य करने की शिकायत सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक से भी की गई है। शिकायत में ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम की निस्तार भूमि एवं पूर्व में पौधरोपण की गई भूमि को आवंटित किये जाने पर लीज को निरस्त किया जाय। इस पर विधायक द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

डढ़िया की लीज निरस्त करने हुआ प्रस्ताव

ग्राम पंचायत डढ़िया द्वारा 14 अप्रैल 2026 को सम्मेलन का आयोजन ग्राम पंचायत भवन में किया गया। सम्मेलन में प्रस्ताव क्रमांक 05 में ग्राम डढ़िया की आराजी नं. 1050 में स्वीकृत पत्थर खदान पर चर्चा की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि में किसी भी प्रकार की खदान संचालित नहीं है। ऐसे में गुण दोष के आधार पर लीज निरस्त कर दी जाय।

इनका कहना है

ग्राम पंचायत में उत्खनन के लिये लीज निरस्त करने का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा उनके कार्यालय को नहीं भेजा गया है। यदि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हो जाता है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।

कपिल मुनि शुक्ला, खनिज अधिकारी सीधी

ग्राम पंचायत कुनझुन की ओर से एम.बी. माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई है। अवैध संचालन की शिकायत पंचायत की ओर से की गई है।

अशोक गौतम, सचिव ग्राम पंचायत कुनझुन

प्रस्ताव एवं स्पष्ट अभिमत मांगा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक खनिज विभाग को कोई भी प्रस्ताव या अभिमत नहीं भेजा गया है। बावजूद इसके क्रेशर का संचालन मनमानी तौर पर किया जा रहा है और संबंधित भूमि की लीज मिले बिना ही अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शासकीय भूमि का लीज मांगे जाने का ग्रामीणों द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है।

सिहावल विधायक से हुई है शिकायत

सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक से ग्रामीणों द्वारा शिकायत करते हुये क्रेशर संचालक द्वारा आवेदित भूमि का लीज आवंटित न हो इसके लिये मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूमि ग्राम की निस्तार भूमि है।

जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित

सीधी 13 जुलाई। जिला पंचायत सभागार में सोमवार को कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित जल जीवन मिशन एवं पेयजल योजनाओं की प्रगति, पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हैंडओवर, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा वर्षाकाल में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका संबंधित ग्राम पंचायतों एवं संचालन समितियों को शीघ्र हैंडओवर सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का नियमित लाभ मिल सके। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि प्रगतिरत योजनाओं में तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण किए जाएं तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। कलेक्टर ने वर्षाकाल के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि जिले के सभी पेयजल स्रोतों, हैंडपंपों एवं अन्य जलापूर्ति स्रोतों में नियमित रूप से क्लोरीनेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल गुणवत्ता की नियमित जांच कराने तथा आवश्यकतानुसार त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

दस्तक अभियान आज से शुरू, घर-घर दी जाएंगी सेवाएं

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जुलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अशोक कुमार खरे ने बताया कि दस्तक अभियान एक घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच एवं उपचार अभियान है। इस वर्ष दस्तक अभियान प्रथम चरण सह स्टॉप डायरिया कैम्पेन 2026 का आयोजन 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक जिले में किया जाएगा।

इस दौरान एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल 5 वर्ष तक के बच्चों के घर-घर जाकर सेवाएं देंगे। अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को दस्त रोग से बचाव के लिए 2 ओआरएस पैकेट एवं 14 जिंक टेबलेट दिए जाएंगे और उनके उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक तथा 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आईएफए अनुपूरण किया जाएगा। 5 वर्ष से कम आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर जटिल मामलों को रेफर कर संस्थागत उपचार कराया जाएगा। दस्त, निर्जलीकरण एवं अन्य बाल्यकालीन बीमारियों से ग्रसित बच्चों की पहचान कर प्रोटोकॉल अनुसार उपचार एवं रेफरल की व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण अंतर्गत रोटा वायरस की निर्धारित खुराक भी दी जाएगी। सीएमएचओ ने बताया कि सेवा देने के लिए रणनीति के तहत सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में ओआरएस एवं जिंक कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। एएनएम एवं आशा के पास हमेशा 20 ओआरएस पैकेट एवं 140 जिंक टेबलेट उपलब्ध रहेंगे। स्कूल, वीएचएनएसडी, यूएचएसएनडी एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में हाथ धोने का प्रदर्शन एवं जागरूकता गतिविधियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग को समुदाय से अपेक्षा है कि दस्तक दल जब घर आए तो सहयोग करें, बच्चों को ओआरएस एवं जिंक समय पर दें, दस्त के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या 108 एम्बुलेंस से संपर्क करें। घर में स्वच्छ पेयजल, हांथ धोने की आदत एवं साफ-सफाई अपनाकर दस्त रोग की रोकथाम में सहभागी बनें।

जेपी निगरी में सिंगरौली सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जुलाई। जेपीवीएल निगरी प्लांट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6से 11 जुलाई 2026 तक सिंगरौली सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें 11 जुलाई को सुरक्षा सप्ताह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एम.वी.आर.रेडडी सीओपी द्वारा विजयी 33 उम्मीदवारों को पुरस्कार प्रदान कर सिंगरौली सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया।

श्री रेडडी ने अपने संबोधन में कहा कि हरेक व्यक्ति कार्य करने के पहले सेफ्टी के बारे में सोचे, हेजार्ड को चिन्हित करके उसके मिटिगेशन प्लान के अनुसार कार्य

करें और एसओपी के अनुसार कार्य करके सेफ्टी फर्स्ट को प्राथमिकता दें, एसओपी को डेवियेट व करें। सुरक्षा की जिम्मेदारी, लाइन वर्कर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर सभी की है। सहायक महाप्रबंधक संरक्षा अरून कुमार उपाध्याय ने 6 से 11 जुलाई तक सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए किए गये कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। 8 जुलाई को ऑन द स्पाट आईएमएस एवं सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता में कार्यस्थल पर ही 75 विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

इस कार्यक्रम में डॉ.एस.एन.दुबे एवीपी, ए.के.श्रीवास्तव एडवाइजर मानव संसाधन, डी.के.सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओ एण्ड एम, नवीन तिनगुरिया उपाध्यक्ष ई एण्ड आई, बी.के.झा उपाध्यक्ष एस एण्ड पी, ए.के.सिंह वरिष्ठ महाप्रबंधक ब्यॉलर मेंटिनेंस, विक्रम सिंह गहरवार वरिष्ठ महाप्रबंधक जेएनसीजीयू, एम.मुरलीकृष्णा प्लांट हेड पॉवरमेक, निखिल तिवारी स. प्रबंधक संरक्षा व उनकी टीम के अलावा सभी जेपी प्लांट के वरिष्ठ अधिकारीगण व संविदाकार के प्रमुख एवं श्रमिकगण उपस्थित रहे।

जिला व्यापारी संघ की प्रथम कार्यकारिणी बैठक का हुआ आयोजन

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जुलाई। जिला व्यापारी संघ सीधी की कार्यकारिणी बैठक गंगोत्री रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी संघ अध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने की।

इस प्रथम बैठक में सबसे पहले व्यापारी संघ के सचिव अशोक कामदार भीम के इस्तीफा के संबंध में अध्यक्ष ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया और यह निर्णय लिया गया कि वह पद पर बने रहे जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक उनकी जगह संयुक्त सचिव और संगठन महामंत्री को उक्त कार्य के लिए नियुक्त किया गया। लालचंद गुप्ता ने बताया कि व्यापारी संघ अब जिला स्तर पर विस्तारित हो रहा है

और प्रत्येक जगह कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। सीधी जिला में 61 लोगों की कार्यकारिणी है और बाकी क्षेत्रीय व्यापारी संघ में 31 लोगों की कार्यकारिणी होगी। इस तरह से कुल 774 लोगों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, कुछ बनाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आपात परिस्थितियों के लिए हर इकाई में एक विशेष फंड की व्यवस्था की जा रही है जिससे व्यापारी पर आपत्ति आने पर उसकी मदद की जा सके। कार्यक्रम में दिलीप सितानी, विनोद मिश्रा, हरिहर सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में संतोष सिंह गहरवार, बच्छराज सिंह, चन्द्रभान बसंतानी, अशोक सिंह बाबा, मो.इद्रीश, राजेन्द्र सिंह, घनश्याम दास गुप्ता, रामसखा सोनी, पंकज सिंह, सुखीनंद गुप्ता, पुष्पराज मिश्रा संतोष आहूजा, मिथिलेश अग्रहरि, मुन्ना तिवारी, कामता गुप्ता, विजय गुप्ता चुरहट, रामलखन गुप्ता, आरके गुप्ता, मार्तंड मिश्रा, राजेंद्र सिंह, भैया लाल गुप्ता, शंकर गुप्ता, घनश्याम गुप्ता बच्चू, अनुसूईया सोनी, कमलेश गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता, दयाशंकर वर्मा, रामप्रसाद साहू, आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अमित गुप्ता ने किया और आभार प्रदर्शन उदय गुप्ता ने किया। 2 अगस्त 2026 को लगभग 800 व्यापारियों का सम्मेलन करने का निर्णय भी लिया गया।

आधार सेवाओं में सुधार के लिए कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जुलाई। कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में आधार नामांकन एवं अद्यतन (अपडेट) कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आधार सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से सहायक प्रबंधक दीपक शर्मा ने जिले में आधार नामांकन एवं अपडेट की

स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वर्तमान में 77 आधार ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर कार्यरत हैं, लेकिन अधिकांश ऑपरेटरों का प्रतिदिन औसत नामांकन 10 से भी कम है। उन्होंने सभी ऑपरेटरों की कार्यक्षमता बढ़ाते हुए शत-प्रतिशत नामांकन एवं अद्यतन कार्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आधार अद्यतन के लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है। इस पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले आधार शिविरों में 5 से 7 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट प्राथमिकता से कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस अनिवार्य अद्यतन के लिए यदि कोई आधार ऑपरेटर निर्धारित नियमों के विरुद्ध शुल्क वसूलता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी आईडी निलंबित कराई जाए। बैठक में विद्यालय स्तर पर आधार नामांकन एवं अपडेट की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिले की वर्तमान आधार रैंकिंग 46वीं होने पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के भीतर ठोस कार्ययोजना तैयार कर अभियान चलाया जाए तथा जिले की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए उसे शीर्ष 10 जिलों में लाने का प्रयास किया जाए।

शाउमावि . भदौरा ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों से बनाई जिले में विशिष्ट पहचान

नवभारत न्यूज

कुसमी 13 जुलाई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदौरा ने विगत 3 वर्षों से लगातार शैक्षणिक उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्था ने कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देकर जिले में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

यह सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, शिक्षकों की समर्पित कार्यशैली तथा संस्था के प्राचार्य बी.के.पनिका के सतत् मार्गदर्शन और प्रभावी नेतृत्व का प्रतिफल है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण एवं अनुशासित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कक्षाओं का संचालन सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत किया जा रहा है जिससे नियमितता, पारदर्शिता तथा अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का निरंतर मूल्यांकन, विषयवार विशेष कक्षाएं, अतिरिक्त अभ्यास सत्र, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन तथा समय-समय पर अभिभावकों से संवाद जैसी व्यवस्थाओं ने भी उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्था में केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा तक ही सीमित न रहकर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों एवं नवाचारों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्मार्ट कक्षाओं का उपयोग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, मॉडल निर्माण, टीएलएम आधारित शिक्षण, समूह अध्ययन, कैरियर मार्गदर्शन, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राचार्य ने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास, अनुशासन, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ही सफलता की वास्तविक कुंजी है।

व्यापारी संघ कुसमी की कार्यवाही बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय

नवभारत न्यूज

कुसमी 13 जुलाई। हनुमान चौराहा भगवार के हनुमान जी मंदिर परिसर में रविवार को व्यापारी संघ कुसमी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मनोज कुमार गुप्ता ने की तथा संचालन सचिव जितेन्द्र गुप्ता ने किया।

बैठक में कोषाध्यक्ष विष्णु शर्मा एवं समस्त सम्मानित व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। बैठक में कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत एवं पारित किए जिनमे प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने प्रतिदिन एक

कचरा पेटी रखेगा, जिससे बाजार में स्वच्छता बनी रहे। व्यापारी संघ के नाम से यूनियन बैंक कुसमी में एक संयुक्त बैंक खाता खोला जाएगा जिसमें संघ का फण्ड जमा किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य आगामी 3 वर्षों तक 100 रूपये प्रतिमाह सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगा। किसी भी व्यापारी बंधु को किसी प्रकार की समस्या आने पर वह संघ के मैसेजिंग समूह में सूचना देगा ताकि व्यापारी संघ उसकी हर संभव सहायता कर सके। संघ ने यह भी निर्णय लिया कि सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक माह सहयोग राशि प्रदान करेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यापारी या उसके परिवार की सहायता की जा सके। उपरोक्त सभी प्रस्ताव समस्त उपस्थित व्यापारी बंधुओं द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत एवं पारित किए गए।

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जुलाई। कलेक्टर विकास मिश्रा के मार्गदर्शन, सीईओ जिपं शैलेन्द्र सिंह सोलंकी एवं जिला परियोजना प्रबंधक मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पुष्पेन्द्र सिंह के निर्देशन में विकासखंड सीधी अंतर्गत एकता सीएलएफ बरिगवां एवं उजाला सीएलएफ टीकट कला में सेबी के सहयोग से वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वसहायता समूहों की महिलाओं एवं सीएलएफ पदाधिकारियों को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल वित्तीय लेनदेन तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाना था। कार्यक्रम में समिति के सदस्यों को सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग, साइबर धोखाधड़ी से बचाव तथा वित्तीय अनुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। अंत में प्रतिभागियों ने अपने दैनिक जीवन एवं समूह संचालन में सुरक्षित एवं पारदर्शी डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग का संकल्प लिया।

लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण व जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें सुनिश्चित : विकास

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा

नवभारत न्यूज

सीधी 13 जुलाई। जिला पंचायत सभागार में सोमवार को कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा (टीएल) की बैठक में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विषयों एवं विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक बिना किसी विलंब के पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें और शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने अवमानना प्रकरणों, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, हितग्राही मूलक योजनाओं एवं कर्मचारियों के लंबित भुगतान प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी मामलों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन एवं शासन स्तर से प्राप्त प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। शिक्षा, आदिवासी विकास विभाग एवं जिला शिक्षा केन्द्र की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों, जर्जर भवनों की

स्थिति, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं तथा जाति प्रमाण-पत्र एवं लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लंबित आवेदनों की जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाएं। सड़क निर्माण एवं पेयजल परियोजनाओं के दौरान की गई खुदाई के बाद रोड रेस्टोरेशन कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं एमपीआरडीसी को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान आवारा पशुओं के प्रभावी प्रबंधन, गौशालाओं के सुव्यवस्थित संचालन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण की रोकथाम, आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिला खनिज प्रतिष्ठान के कार्यों की प्रगति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा खनिज, वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त प्रवर्तन कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता करें सुनिश्चित

खरीफ सीजन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने किसानों के लिए खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, ई-खाद प्रणाली के सुचारु संचालन तथा आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत जी-राम-जी अभियान, वॉश ऑन व्हील गतिविधियों, जलाशयों एवं अन्य जल संरचनाओं की सुरक्षा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।